

(18)

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक 03/प्र०अ०-भवन/जोग-2/2014-15 दिनांक 19/09/2014

### अनुमति-एक्र




न-एक्र अनुमति ०३०७-न-८ नियंत्रण तथा विकास अधिनियम १९७३ की धारा १४ - १५ के अन्तर्गत दी जाती है। किन्तु अपेक्षा इस न समझना चाहिए के उस मृदू के स्वरूप ने जिस एक व्यवस्थित भवन मानविक सीलिंग हिला जा सकता है इससे खिलो जाकर या ऐसी स्थानों निकल या इसका स्थानीय अधिकारी या विनेता अस्ता पर्याप्त के परिवर्तन अनेकों पर नियोग का कोई असर पड़ा अर्थात् इस अनुमति के द्वारा यह स्थानों के गिलासों तथा रखानी के अधिकारी द्वे विलोक्यों कोई प्राप्त न रखते हैं।

श्री आशीष सिंह, श्री हर्ष सिंह मुत्रगण स्थ० विनेश कुमार कुशवाहा द्वारा पार्ट आफ नवान नं० ०८/१ नूकरगंज, न्यूलॉ फौजीलॉ प्लाट नं० ०१, ०२ व २५ नूकरगंज इलाहाबाद दे. जन्म संख्या (२) के उन्नीस वर्षावधिक भवन मानविक के नियमित ली अनुमति हेतु वाडिल भवन नानियक की स्वीकृति/विभान विनाकित उद्देश्यों के अधीन उदान ली जाती है।

१. उपर वार नियोजन तथा विकास अधिनियम १९७३ की धारा १४ (१) के प्रतीकारों ने अनुरूप सूर्यों प्राप्त प्राप्त होने ये प्रश्नाओं दी रपोर्ट/अधिकारी द्वारा जारी, यह नैयांप या नियोग पूर्ण कर पूर्णता प्राप्त-पूर्ण ग्राहन जरूरी आवश्यक है।
२. यह स्वीकृति उनिया (Provisional) स्वीकृति जे स्वयं में होती है विनायक पूर्ण होने के उपरान्त अनी जाकरल Mandatory Clearances/N.O.C को जरूर पूर्ण करने ते प्रश्नावाले विनायक द्वारा जारी 'पूर्ण प्राप्त-पूर्ण' ग्राहन करने के बाद तो इस विवर को प्राप्तीकरण लेवाली गे लात जा लेता।
३. स्थान पर ४५३ विहार का ५५ बोर्ड अनाकर्ष प्राधिकरण दूर लौकिक नानियक स्वरूप सिवाय अंगेज छरन अनियोग होम वित्तने के विकेट/इन्विट के कर्म का नम भी जोकिल है।
४. स्थान पर ०२ इकाई लोट तथा त्रिंगली लोट-प्राप्त रखने का दिव्य अप्रकरण का होगा।
५. स्थान का अधिकारी/उपरान्त लोटकरना के अनुराग हो जाए तो अप्रकरण का होगा।
६. अप्रकरण सुनियोगों के अधिकार्य ने नाम आधुका/नाम नियम द्वारा नानियक की स्वीकृति के लिए से लाई देखा/प्रतेक्ष्य अधिकारी किये जाते हैं ते उसका मुगवान/अनुबन्ध शपाकर्तानियक पर लोधायो होगा।
७. नन्दिनी की स्वीकृति न्यूलॉ एवं व्यून द्वारा पर शावासीक नियमित की अनुमति देते हैं, अतोरेक ताल के नियम पूर्णता दीक्षित होगा।
८. पानीना त्यागलय में कोई नाम होने अनुवान ज्ञाने जी दियती गे इसका स्वीकृति मान्योदय न्यायालय के नियम के अनुवान आयो। यह स्वीकृति ए-स्वामित्य का उपविकास प्राप्त नहीं करती है। शुभ अवित्त सम्बद्धी कोई नी दियाव राजन त्यागलय/प्राप्तेकर्ता द्वारा दी नियम दिया जा सकता है।
९. गोपनीय राम पर जारी शासनादेश व नियमों के बाबन अनुवान होता जाता। यह प्राप्तिकरण यदि लोई शुल्क शर्तेवाल करता है तो उसे पदा ले जाना करना होगा।
१०. यह जावेक द्वारा लंबु महलपूर्ण चूकना दिया है नहीं है सबव नदात दुबना दे रखी है तो साल नार नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा १५ (१) के अन्तर्गत मानविक नियम जरूर गोपन होग।
११. यह स्वीकृति पर लेवल दीप वध की अवधि के हिए है।
१२. नाम नियम से यह दीप होती के साथ की जली अवधि राजक या नामी के जिसी पार (ली) नामान के आठ मास, एक बार अनुवान राजके जलावाह के करण तक मई हो); जो हमनि पूर्वें दो गुरुवारी तोता हो जाने तर १५ दिन के मैत्री उपवास प्रत्येक विकास प्राप्तिकरण ने एक लिखित चूकना द्वारा जैव दीप लहा हो गहरे हो जाने एवं दीप द्वारा अनुवान कराना पूर्वतः अवधि। एक से दिलक्ष प्राप्तिकरण का साथों दो जाता है कर देगा।
१३. यह नियम के रानव इशाका दी व्यून द्वारा होना के भावावाल नियम १९६८ इंडियन इंडिप्रेस्ट्री अप्ट १९६५; नियम ४२ का एकांक जिसी दी दशा गी न होना चाहिए। यह विकास प्राप्तिकरण की जानकारी में देते भावों नहीं देते हो तो यह देसी नियम को रोक अनुवान देता देता है।
१४. दीपेक को विवाहुत विकास प्राप्तिकरण को उच्चन के नीव तक तक छात तक बन जाने एवं उच्चने पूर्व ही जाने ली रचना मानव जावाह जोने से पूर्व देना होता तथा दूसरी दी जाने भी होता होगा जिसके नियमान में मूलन नीनह हुआ है।
१५. यह नैयांप में ग्राहन ताल के उत्तराधिन होता पाया जाता हो नियमकर्ता को यह मूर्ख स्वीकृति रह अनुमति जायेगी और दिया गया नियम अनुवान अधिकृत घासित कर दूल अधिनियम की धारा २७ (१) के उन्नाँ अधिकारी जारी हो जायेगो।

मानविक  
विवाह  
दीप  
२२/९/१५  
०३०८८८९३३

१५/९/१५  
(द्वारा श्रीवास्तव)  
प्राप्ति उपविकास ताल १८८० २)  
इलाहाबाद विकास प्राप्तिकरण,  
हलाहलगंज।



SECTION A-A-B



TERRAE PLAN

PROPOSED COMMERCIAL CLUB BUILDING PLAN OF PART OF HOUSE NO. 6/1, PARCEL OF NAILA, PEELA HOLD, ELLIOT OWNER SHRI ANIL ASHISH SINGHGAJAL.	
S/O LATE DINBESH KUMHAR KHUSHWAHALA S/O LATE DHARSHI SINGH RUMJAH KHUSHWAHALA	
TOTAL AREA ON PLOT - 100x220 LAND LEFT FROM PLOT - 100x220 SUBLOT AREA BAZAAR RESIDENTIAL AREA - 100x62	
RESIDENTIAL AREA ON PLOT - 90x33 - SQ.M.	
TOTAL AREA ON PLOT - 90x30 - SQ.M.	
PROPOSED AREA ON G.F. - 72x30 - SQ.M.	
OPEN AREA ON G.F. - 26x3 - "	
OPEN AREA ON G.F. - 26x3 - "	
OPEN AREA ON G.F. - 26x3 - "	
OPEN AREA ON G.F. - 26x3 - "	
OPEN AREA ON G.F. - 26x3 - "	
P.T.A. B.	
BAZAR	
TOTAL AREA ON PLOT - 100x45 - SQ.M.	
PROPOSED AREA ON G.F. - 71x45 - SQ.M.	
OPEN AREA ON G.F. - 71x45 - SQ.M.	
OPEN AREA ON G.F. - 71x45 - SQ.M.	
OPEN AREA ON G.F. - 71x45 - SQ.M.	
GROUND COVERAGE - 50x30 - SQ.M.	
F. A. R.	
SCALE - 1:100	
SCHEDULE OF DOOR WINDOW & VENT	
24. DOOR	D1
32. DOOR	D2
52. WINDOW	W1
52. WINDOW	W2
6. VENT	V1
THIS IS TO CERTIFY THAT THE DRAWINGS ACCORDING TO HINDU ALLAHABAD MASTERS PLAN - 2021	

*W. H. ASCHER*  
ASCHER & SONS  
MANUFACTURERS OF  
CLOTHING  
100 BROADWAY NEW YORK  
300 BOSTON

G.T. ROAD  
CHAMPAKALA  
Y. PLAN  
MUNICIPAL

UNANI  
MEDICAL  
COLLEGE

TO KHOTADABH